तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग
18, INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG
नई दिल्ली–110016 / NEW DELHI-110016
दूरभाष/TEL 26858570, फैक्स/FAX-26514179

एफ–110331 / 02 / 2015 / केविसंमु0 / वि.छू. / सांसद   दिनांकः 31.12.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु माननीय सांसदों के लिए विशेष छूट के कोटे में अभिवृद्धि।

केविसं के अधिशासी मंडल की 30 अक्तूबर, 2015 को सम्पन्न 103वीं बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप माननीय संसद सदस्यों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित वर्तमान योजना में प्रदत्त 06 बच्चों के कोटे को बढ़ाकर 10 कर दिया गया है।

यह संशोधित विशेष छूट प्रवेश योजना शैक्षिक सत्र 2016–17 से लागू होगी जिसकी प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार हैं–

1. प्रत्येक माननीय सांसद एक शैक्षिक वर्ष में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 10 (दस) प्रवेश की सिफारिश कर सकते हैं परंतु ये सिफारिशें माननीय सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ऐसे अभिभावकों के बच्चों के लिए सीमित होंगी जो या तो उस क्षेत्र के निवासी हैं, या अपनी सेवाओं की आकस्मिकताओं के कारण वहां स्थानांतरित हुए हों, या अपनी तैनाती के एकदम पहले उस निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे हों। ऐसी सिफारिशें केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए ही मान्य होंगी। यदि माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय स्थित नहीं है अथवा यदि माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में संस्तुत कक्षा / स्ट्रीम नहीं है तो सांसद ये सिफारिशें अपने निर्वाचन क्षेत्र के निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी एक या अधिक केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं।

   राज्यसभा के सांसद ये सिफारिशें उस राज्य में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं।

   राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सदस्य प्रवेश के लिए 10 संस्तुतियाँ देश भर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय के लिए भेज सकते हैं।

2. ये प्रवेश कक्षा की निर्धारित क्षमता से ऊपर होंगे।

3. ये संस्तुतियां प्री–प्राइमरी, दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कक्षा के लिए की जा सकती हैं।

4. ये प्रवेश शैक्षिक सत्र के आरंभ में किए जाएंगे और संबंधित वर्ष में सामान्य प्रवेश के लिए दी गई निर्धारित तिथि अर्थात 31 जुलाई के बाद ऐसे किसी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. माननीय सांसद द्वारा की गई संस्तुतियों को तभी वैध समझा जाएगा जब वे केविसं द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप में की जाएंगी। अन्य किसी भी प्रारूप में/तरीके से भेजी गई संस्तुतियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

6. माननीय सांसद द्वारा जिन विद्यार्थियों की प्रवेश के लिए संस्तुति की गई है उनका केविसं की प्रवेश – दिशानिर्देशों के अनुरूप योग्य होना आवश्यक हैं।

संतोष
3/12/15

(संतोष कुमार मल्ल)
आयुक्त

वितरणः–

1. लोकसभा सभापति के निजी सचिव
2. राज्यसभा उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. सभी संसद सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा)
4. निजी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री
5. निजी सचिव, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
6. सचिव (वि.शि.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव (यूटी–2), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
2. अपर आयुक्त (प्रशासन एवं सतर्कता), केविसं
3. अपर आयुक्त (शैक्षिक), केविसं
4. उपायुक्त, केविसं समस्त क्षेत्रीय कार्यालय
5. प्राचार्य, सभी केन्द्रीय विद्यालय
6. सहायक आयुक्त (इडीपी), केविसं केविसं मु. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. गार्ड फाइल

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग
18, INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG
नई दिल्ली–110016 / NEW DELHI-110016
दूरभाष/TEL 26858570, फैक्स/FAX-26514179

F.No 110331/02/2015/KVS/Sp Disp/MP   Dated: 31st December, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Enhancing Quota of Special Dispensation Admission in Kendriya Vidyalayas for Members of Parliament

Consequent upon the approval of the Board of Governors of KVS in the 103rd Meeting held on 30th October, 2015, the existing quota of 06 (six) children for admission in Kendriya Vidyalayas on the recommendation of Hon'ble Members of Parliament during each academic session under the Special Dispensation Scheme is enhanced from 06 to 10 (ten) with effect from the next academic session, i.e. 2016-17.

The Revised Scheme of Special Dispensation Admission for Members of Parliament comes into vogue with effect from the academic session 2016-17 with the following features:

1. Each MP can refer 10 (ten) cases for admission under the Scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to her/his constituency either by domicile or on account of having been posted soon-before or else migrate to her/his constituency on account of exigencies of service. Such recommendations would be for admissions in Kendriya Vidyalayas located in her/his constituency only. In case there is no Kendriya Vidyalaya in the constituency of the Hon'ble MP(Lok Sabha) or in case the Kendriya Vidyalaya located in the constituency of the Hon'ble MP(Lok Sabha) does not have the required Class/Stream in which the recommendation for admission is to be made, she/he can recommend the case(s) in Kendriya Vidyalaya(s) located in any neighbouring contiguous constituency.

   For Members of Rajya Sabha , the State from which the member has been elected would be deemed to be her/his constituency for this purpose.

   Nominated members of Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend 10 cases for admission in any one or more Kendriya Vidyalaya(s) of the country.

2. These admissions shall be over and above the class strength.

3. These recommendations would be made for all classes except Pre-primary and classes X and XII.

4. These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut off date (i.e. 31st July) of the year.

5. The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed coupon/format provided to each Member of Parliament by KVS(Hq). Recommendations sent in any other format/ manner shall not be considered.

6. The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.

31/12/15

(Santosh Kumar Mall)
Commissioner

Distribution:

1. PS to Speaker, Lok Sabha
2. PS to Dy. Chairman, Rajya Sabha
3. All Members of Parliament (LS & RS)
4. PS to Minister for HRD
5. PS to MoS for HRD
6. Secretary (SE), MHRD

Copy to :

1. JS (UT-2), MHRD
2. Addl. Commissioner (Admn. & Vig.), KVS
3. Addl. Commissioner (Acad.), KVS
4. Deputy Commissioner, KVS, All Regions
5. Principal, All Kendriya Vidyalayas
6. Asstt. Comm. EDP, KVS for uploading on KVS website
7. Guard File